समझौता - ज्ञापन

2011 - 12

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

एवं

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

के बीच

समझौता-ज्ञापन (एमओयू)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एवं

विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार

के बीच

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए

भाग - I

1.1 **विजन/मिशन**

विजन

विश्वव्यापी कार्य-प्रचालन पर नज़र रखते हुए भारतीय विद्युत क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्रों के उत्तरोतर विकास के लिए वित्त-पोषण करने वाला अग्रणी संस्थान बनना।

मिशन

पीएफसी का साध्य है : सर्वोत्तम उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करके विद्युत एवं वित्तीय क्षेत्र में सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान बनना; विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देना ताकि उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर अपेक्षित क्वालिटी वाली बिजली उपलब्ध हो सके; विद्युत विकास के लिए विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली प्रदान करना; भारत में विद्युत क्षेत्र का सुधार करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना; तथा भविष्यत् विद्युत क्षेत्र के लिए मानव परिसंपत्तियां तथा प्रणालियां विकसित करना ।

1.2 उद्देश्य

1. विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन प्रदान करना तथा निवेश-प्रवाह को बढ़ावा देना ।

2. वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षेत्रों में अपने ऋणकर्ताओं की कार्य-प्रणाली को सुकर बनाते हुए उसका सांस्थानिक सुधार करने के लिए उत्प्रेरक (कैटेलिस्ट) के रूप में कार्य करना ताकि उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

3. राज्यों को कार्य-निष्पादन पैरामीटरों एवं राज्यों में सुधार प्रक्रिया की प्रास्थिति और विद्युत संस्थाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना और तदनुसार बेहतर कार्य-निष्पादक राज्यों एवं विद्युत संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ब्याज दरें प्रदान करना ।

4. प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न प्रकार के अर्थात् घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन जुटाना।

5. विद्युत क्षेत्र के प्रभावी एवं कार्यक्षम विकास के लिए इस क्षेत्र में कार्य-कुशलता का उन्नयन करने के सघन प्रयास करना ।

6. विद्युत क्षेत्र के लिए दक्ष कार्य-प्रचालन एवं अधुनातन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट एवं सेवाएं आरंभ करके रेट ऑफ रिटर्न को अधिकतम करना ।

7. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना तथा पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम जैसी चीन्हित स्कीमों/कार्यक्रमों को सुकर बनाना तथा बढ़ावा देना ।

भाग - II

अधिकतम स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रयोग

- अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए, पीएफसी को इन परियोजनाओं के नाम से शैल कंपनियों का गठन करने में अग्रणी भूमिका निभानी है । इसके लिए पी.एफ.सी. को पूंजीगत व्यय वहन करना होगा ।

- इसी प्रकार की व्यवस्था प्रतिस्पर्धी बिडिंग रूट के माध्यम से विकसित की जाने वाली पारेषण एवं जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित है ।

भाग- III

2011-12 के लिए पीएफसी के कार्य-निष्पादन लक्ष्य

ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पीएफसी का भरसक प्रयास रहेगा कि संलग्न विवरणिका में यथोल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और पीएफसी का कार्य-निष्पादन उसमें दर्शाए गए मानदंड-भारांकों एवं लक्ष्यों के आधार पर आंका जाएगा :

भाग -IV

भारत सरकार की वचनबद्धताएँ

1. विद्युत मंत्रालय, पीएफसी द्वारा समय-समय पर मंत्रालय के ध्यान में लाए गए अपेक्षाकृत सस्ते वित्तीय संसाधन जुटाने से संबंधित उन मुद्दों को सुलझाने में अपेक्षित सहायता प्रदान करेगा जिनमें अंतर-मंत्रालयीन परामर्श की आवश्यकता है, जिनके अंतर्गत कर मुक्त बॉण्ड्/ एसएलआर बॉण्ड्/करयोग्य बॉण्ड्/इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्/आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के अंतर्गत बॉण्ड्, बैंकों/संस्थानों से ऋण एवं ईसीबी(विदेशी वाणिज्यिक ऋण)/ सीधे विश्व बैंक/एडीबी से ऋण आदि शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के एनबीएफसी दिशानिर्देशों से पीएफसी को छूट दिलाने संबंधी मुद्दों पर भी पीएफसी को अपेक्षित सहायता प्रदान की जाएगी ।

   विद्युत मंत्रालय आर-एपीडीआरपी स्कीम के लिए बजटगत आबंटन से पीएफसी को आवश्यक निधि प्रदान करेगा । आर-एपीडीआरपी पर आधारित कुछ करार राज्य विद्युत संस्थाओं तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच किए गए हैं, अतएव वे पीएफसी के नियंत्रण से परे हैं । इसलिए, पीएफसी विद्युत मंत्रालय के ध्यान में उन व्यावहारिक कठिनाइयों तथा तथ्यों को रखेगी जो पीएफसी के नियंत्रण से परे हैं । लक्ष्यों को उपयुक्ततः कांटने छांटने के लिए विद्युत मंत्रालय इस मामले पर डीपीई के साथ चर्चा करेगा ।

भाग- V

समझौता-ज्ञापन के कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग करने के लिए कार्य-योजना

प्रत्येक लक्ष्य के अंतर्गत कार्य-निष्पादन की समीक्षा :

(1) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों द्वारा मासिक आधार पर

(2) निदेशक मंडल एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर

समझौता-ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में कार्य-निष्पादन की मॉनीटरिंग तिमाही आधार पर विद्युत मंत्रालय में होने वाली कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों में की जाएगी ।

सतनाम सिंह

(सतनाम सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पी उमा शंकर

(पी.उमा शंकर)
सचिव
विद्युत मंत्रालय

दिनांक : 24 मार्च 2011

स्थान : **नई दिल्ली**

पी.एफ.सी.-कार्य-निष्पादन मानदंड एवं उनके भारांक : वर्ष 2011-12

क्रम स.	मानदंड	भाराक	वित्तीय वर्ष 2011-12					बजट अनुमान (उत्तम श्रेणी)	
			सर्वोत्तम	अति उत्तम	उत्तम	अच्छा	निकृष्ट		
		%	1	2	3	4	5	2010-11	2011-12
भाग अ									
1	स्थिर वित्तीय मानदंड								
क)	वित्तीय सूचक - (लाभ संबंधी)								
i)	संस्वीकृतियां आर-एपीडीआरपी के अतिरिक्त(करोड़ रु.)	10	45,000	42,800	40,800	38,700	36,800	51,900	40,800
ii)	संस्वीकृतियांआर-एपीडीआरपी के अतिरिक्त(करोड़ रु.)	6	35,500	33,800	32,200	30,600	29,000	23,400	32,200
iii)	आर-एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा संस्वीकृत परियोजना (31.03.2012तक संचयी)(करोड़ रु.)	3	27,518	26,200	24,800	23,600	22,400	लागू नहीं	24,800
iv)	आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत संवितरण (31.03.2012 तक संचयी) (करोड़ रु.)	2	6,086	5,700	5,500	5,200	4,900	लागू नहीं	5,500
v)	संसाधन जुटाव (करोड़ रु.)	5	30,300	28,800	27,500	26,100	24,800	24,000	27,500
vi)	ऋण परिसंपत्तियों के % के रूप में निवल एनपीए(%)	4	1.00%	1.05%	1.11%	1.16%	1.22%	1.16%	1.11%
vii)	रिटर्न ऑन नेटवर्थ (%)	5	14.49%	13.80%	13.10%	12.50%	11.80%	15.30%	13.10%
ख)	वित्तीय सूचक - (आकार संबंधी)								
i)	सकल मार्जिन (करोड़ रु.)	5	12,000	11,300	10,860	10,320	9,800	7,880	10,860
ii)	कुल आय (करोड़ रु.)	5	12,360	11,660	11,190	10,630	10,100	8,080	11,190
ग)	वित्तीय सूचक - (उत्पादकता संबंधी)								
i)	मूल्यह्रास ब्याज एवं कर पूर्व लाभ(पीबीडीआईटी) / कार्मिकों की संख्या (करोड़ रु.)	5	28.24	26.59	25.55	24.28	23.06	20.51	25.55
	उप योग स्थिर वित्तीय मानदंड (क+ख+ग)	50							
2	गतिशील मानदंड								
i)	ऊपरी व्यय/कुल आय (%)	2	1.21%	1.27%	1.34%	1.41%	1.48%	1.80%	1.34%
ii)	पीएफसी कॉर्पोरेट बिल्डिंग की ऊजा लेखापरीक्षा संबंधी संस्तुतियों का कार्यान्वयन- कैपेसिटर्स की संस्थापना (तारीख)	2	31.01.2012	15.02.2012	28.02.2012	09.03.2012	15.03.2012	लागू नहीं	28.02.2012
iii)	मानव संसाधन-विकास-कार्मिक प्रशिक्षण-अग्रिम प्रबंधन/कार्यनीतिक प्रबंधन/लीडरशिप कार्यक्रम/अध्ययन दौरा इत्यादि (जन-दिवसों की संख्या)	1	130	123	117	111	106	1,090	117
iv)	मानव संसाधन विकास-कार्मिक प्रशिक्षण-तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम/सामान्य प्रबंधन/वित्तीय प्रबंधन इत्यादि (जन-दिवसों की संख्या)	3	1,190	1,133	1,076	1,022	971	1,090	1,076
v)	मानव संसाधन विकास-कार्मिक प्रशिक्षण-कार्य पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/उत्पादकता संवर्धन/संप्रेषण कौशल इत्यादि (जन-दिवसों की संख्या)	1	200	190	180	171	163	1,090	180
vi)	विकास के लिए परियोजना-बेस लाइन डाटा के लिए आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत सभी नगरों की रिंग फैंसिंग तथा तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी द्वारा पूर्ण वैधता (31.03.2012 तक संचयी)(नगरों की संख्या)	2	1,100	1,040	990	940	890	लागू नहीं	990

पी.एफ.सी.-कार्य-निष्पादन मानदंड एवं उनके मापांक : वर्ष 2011-12

क्रम स.	मानदंड	मापांक	वित्तीय वर्ष 2011-12					बजट अनुमान (उत्तम श्रेणी)	
			सर्वोत्तम	अति उत्तम	उत्तम	अच्छा	निकृष्ट		
		%	1	2	3	4	5	2010-11	2011-12
vii)	सतत विकास के लिए परियोजनाएं-वितरण कंपनियों के लिए शुल्क निर्धारित प्रक्रिया हेतु मॉडल दिशा-निर्देश विकसित करने के लिए अध्ययन करना (तारीख)	1	31.01.2012	15.02.2012	28.02.2012	09.03.2012	15.03.2012	लागू नहीं	28.02.2012
viii)	सतत विकास के लिए परियोजनाएं-पीएफसी के कम्प्यूटर केंद्र का तापमान नियंत्रण (तारीख)	1	31.01.2012	15.02.2012	28.02.2012	09.03.2012	15.03.2012	लागू नहीं	28.02.2012
ix)	सतत विकास गतिविधियों के लिए व्यय- (वित्त वर्ष 2010-11 का कर पश्चात् लाभ (पीएटी) का %)	1	0.10%	0.09%	0.08%	0.07%	0.06%	लागू नहीं	0.08%
x)	सीएसआर के लिए नियतन(वित्त वर्ष 2010-11)का कर पश्चात् लाभ (पीएटी) का %)	2	0.50%	0.45%	0.40%	0.35%	0.30%	0.30%	0.40%
xi)	**सीएसआर के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं/गतिविधियां (निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित सूची में से कोई तीन गतिविधियां)**	3							
	सौर लालटेनों का वितरण (बांटी गई लालटेनों की संख्या)		2,500	2,000	1,500	1,000	500	लागू नहीं	1,500
	हरित शवदाहगृह की संस्थापना (संस्थापित इकाइयों की संख्या)		5	4	3	2	1	लागू नहीं	3
	उत्तराखंड के एक पर्वतीय स्थल में लगाई गई एलईडी स्ट्रीट लाइट (समाप्ति की तारीख)		31.01.2012	15.02.2012	28.02.2012	09.03.2012	15.03.2012	लागू नहीं	28.02.2012
	नियोजनीयता का दक्षता-विकास(प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या)		1,000	800	700	600	500	लागू नहीं	700
	रात्रि आश्रयगृह (व्यक्तियों की संख्या)		250	200	175	150	125	लागू नहीं	175
xii)	निगमित आयोजना का अनुपालन - निगमित आयोजना पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट जमा करना	2	तिमाही के अंत से 10 दिन के भीतर	तिमाही के अंत से 12 दिन के भीतर	तिमाही के अंत से 14 दिन के भीतर	तिमाही के अंत से 15 दिन के भीतर	तिमाही के अंत से 15 दिन बाद	लागू नहीं	तिमाही के अंत से 14 दिन के भीतर
xiii)	निगमित आयोजना का अनुपालन - निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति की बैठक (संख्या)	1	4	3	2	1	-	लागू नहीं	2
xiv)	निगमित आयोजना का अनुपालन - शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की बैठक (संख्या)	1	4	3	2	1	-	लागू नहीं	2
xv)	निगमित आयोजना का अनुपालन-31.03.2011 तक बकाया लेखा-परीक्षा पैरा/एटीएन का समायोजन (%)	1	95%	90%	85%	80%	75%	लागू नहीं	85%
xvi)	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व - वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अल्पसंख्यकों की नियुक्ति (%)	1	8%	7%	6%	5%	4%	लागू नहीं	6%
xvii)	अनुसंधान एवं विकास - राज्य विद्युत संस्थाओं की तिमाही कार्य-निष्पादन शोध रिपोर्ट (संख्या)	4	30	28	27	26	24	21	27
xviii)	अनुसंधान एवं विकास - एक बैंक के अधिग्रहण अथवा एक बैंक की संस्थापना संबंधी संभावना तलाशने के लिए कराया गया अध्ययन (तारीख)	1	31.01.2012	15.02.2012	28.02.2012	09.03.2012	15.03.2012	लागू नहीं	28.02.2012
	गतिशील मानदंडों का उप योग	*30*							
आग ख									
3	क्षेत्र विशिष्ट								
i)	विद्युत मंत्रालय को राज्य विद्युत संस्थाओं के कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना (तारीख)	5	31.01.2012	15.02.2012	28.02.2012	09.03.2012	15.03.2012	28.02.2011	28.02.2012

पी.एफ.सी.-कार्य-निष्पादन मानदंड एवं उनके भारांक : वर्ष 2011-12

क्रम स.	मानदंड	भाराक	वित्तीय वर्ष 2011-12					बजट अनुमान (उत्तम श्रेणी)	
			सर्वोत्तम	अति उत्तम	उत्तम	अच्छा	निकृष्ट		
		%	1	2	3	4	5	2010-11	2011-12
ii)	आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम से संबंधित कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करना (संख्या)	1	4	3	2	1	-	2	2
iii)	आर-एपीडीआरपी और इम के अंतर्गत कार्मिकों का प्रशिक्षण (मानव दिवस)	1	8,000	7,600	7,200	6,800	6,400	3,450	7,200
iv)	आंकड़ा केंद्र (डीसी)/आपदा वसूली केंद्र(डीआर) प्रचालन (राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की संख्या))	1	9	8	7	6	5	लागू नहीं	7
v)	भवन (पूर्ण/स्वामित्व/लीज) एचडब्ल्यू,एसडब्ल्यू पूर्ण बिना पायलेट (राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की संख्या))	1	11	10	9	8	7	लागू नहीं	9
vi)	एचडब्ल्यू, एसडब्ल्यू प्रापण(राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की संख्या))	1	9	8	7	6	5	लागू नहीं	7
	क्षेत्र विशिष्ट मानदंडों का उप योग	***10***							
4	**उद्यम विशिष्ट मानदंड**								
i)	भाग-क पूर्ण (31.03.2012 को संचयी)(शहरों की संख्या)	2	774	730	700	660	630	लागू नहीं	700
ii)	भाग-ख आंतरिक प्रारंभ के लिए पंचाट/निर्णय(31.03.2012 को संचयी) (शहरों की संख्या)	2	900	850	810	770	730	लागू नहीं	810
iii)	स्काडा पंचाट (31.03.2012 को संचयी) (शहरों की संख्या)	2	60	57	54	51	48	लागू नहीं	54
iv)	पीएफसी की दीर्घावधि कॉर्पोरेट योजना के लिए अध्ययन करना (तारीख)	3	31.01.2012	15.02.2012	28.02.2012	09.03.2012	15.03.2012	लागू नहीं	28.02.2012
v)	जन-उद्यम सर्वेक्षण हेतु आंकड़े प्रस्तुत करना (तारीख)	1	15.09.2011	01.10.2011	15.10.2011	31.10.2011	31.10.2011के बाद	लागू नहीं	15.10.2011
	उद्यम विशिष्ट मानदंडों का उप योग	**10**							
	कुल योग	***100***							

	परिभाषा :	
i)	सकल मार्जिन	= कर-पूर्व लाभ +मूल्यह्रास/परिशोधन +अन्य प्रभारों को छोड़कर ब्याज खर्च + पूर्व अवधि मदें
ii)	नेटवर्थ	= प्रदत्त पूंजी + आरक्षित व अधिशेष घटा अशोध्य और असंदिग्ध ऋण के लिए संचित कोष
iii)	मूल्यह्रास, ब्याज व कर (पीबीडीआईटी) से पूर्व लाभ	= कर पूर्व लाभ+ मूल्यह्रास/परिशोधन +अन्य प्रभारों के अलावा ब्याज खर्च+ पूर्व अवधि मदें
iv)	नेटवर्थ पर वसूली (आरओएनडब्ल्यू)	= कर पूर्व लाभ (पीएटी)/ नेटवर्थ
v)	ऊपरी व्यय	= कार्मिक व प्रशासन खर्च + मूल्यह्रास+ अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन
vi)	ऋण परिसंपत्तियों (%) के % के रूप में निवल एनपीए	= (सकल एनपीए घटा संचयी प्रावधान)/ ऋण परिसंपत्तियां
vii)	वितरण सुधार उन्नयन एवं प्रबंधन (इम)	= भारत सरकार और यूएसएआईडी की पीएफसी के साथ कार्योन्वयन साझेदार के रूप में द्विपक्षीय पहल
viii)	आर-एपीडीआरपी	= पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी)